

तारीख हुकम	<p align="center">हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p align="center">ईश्वर कुमार पुत्र श्री गोपाराम मेघवाल, इन्द्रा कॉलोनी कानपुरा तहसील सुमेरपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :- 33/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/45 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------------------	--	---

-: निर्णय :-

02.05.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलाण्ट अनुपस्थित ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 10.01.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2024/246 दिनांक 28.03.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 122 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना से संबंधित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।



(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली